बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक.........................

संख्या 15/एम 1–57/2016(अंश).............राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के तहत विकसित बिहार के सात निश्चय के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से बंचित हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्येश्य से बिहार स्टुडेंट केडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह योजना 02 अक्तूबर 2016 से लागू होना है।

1. इस योजना का सफल कार्यान्वयन करने हेतु राज्य स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थायी व्यवस्था बिहार विकास मिशन की ओर से Hay Group के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें समय लगने की संभावन है। भवदीय अवगत हैं कि इस योजना को 2 अक्तूबर, 2016 से लागू किया जाना है। अतः त्काल बिहार शिक्षा सेवा के निम्नलिखित 4 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:–

(i) श्री प्रभात कुमार पंकज, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना।

(ii) श्री राजेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अरवल।

(iii) श्री मदन राय, जिला कार्यकम पदाधिकारी, शेखपुरा।

(iv) श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा (सम्प्रति प्रतिनियुक्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना)।

प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का वेतन भुगतान पूर्व की भाँति उनके पैतृक कार्यालय से होगा।

ह0/–

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–82/2016–1449 पटना, दिनांक 21/9/16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, बिहार/निदेशक, बिहार विकास मिशन के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी/राज्य के सभी निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपर्युक्त नामित पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीन नामित पदाधिकारी को परियोजना प्रबंधन इकाई में योगदान हेतु अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

21/9/16

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव